(11)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 101 / 2021

नारायण सैनी पुत्र श्री मूलाराम सैनी, वार्ड नं0 16, झालरा वाला कुआ, पो0 खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 101 / 2021 पर दिनांक 21.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1746–47 दिनांक 21.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 21 / 317 दिनांक 02.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नारायण सैनी पुत्र श्री मूलाराम सैनी निवासी वार्ड नं0 12, अजीत अस्पताल के पीछे खेतडी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 29.01.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0 / 2 / 103–04 दिनांक 25.002.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 21 / 317 दिनांक 02.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नारायण सैनी पुत्र श्री मूलाराम सैनी निवासी वार्ड नं0 12, अजीत अस्पताल के पीछे खेतडी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन उनके कार्यालय मे दिनांक 29.01.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0 / 2 / 103–04 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/07/

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं